



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक.गोप/600/2019
दिनांक 10/01/2019

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश,
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश,
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश,
4. समस्त संभागीय उप संचालक, आदिम जाति कल्याण/
समस्त सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण/
जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश,
6. समस्त संभागीय अधिकारी मध्यप्रदेश, माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
7. प्राचार्य, समस्त जिला उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय, मध्यप्रदेश,
8. प्राचार्य, समस्त जिला समन्वयक संस्था, मध्यप्रदेश,
9. प्राचार्य, समस्त जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, मध्यप्रदेश,
10. समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।

विषय:- हाईस्कूल/हा.से./हा.से.व्या. परीक्षा वर्ष 2019 के मूल्यांकन विषयक।

मार्च 2019 में आयोजित होने वाली मण्डल की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं में लगभग 20 लाख परीक्षार्थी शामिल होना संभावित है। जिनकी उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन समय सीमा में किया जाना है। उक्त कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्वरूप का है। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु 51 जिला मुख्यालयों के मूल्यांकन केन्द्रों पर हाईस्कूल परीक्षा के लिये लगभग 14000 एवं हा.से. परीक्षा के लिये 8000 परीक्षकों की आवश्यकता होगी।

(2) उपरोक्त कार्य की संवेदनशीलता एवं गंभीरता को ध्यान में रखते हुये सुयोग्य परीक्षकों के चयन एवं उनकी नियुक्ति निम्नानुसार कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा पूर्व वर्षों में की जाती रही है। इसी प्रकार वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिये समिति निम्नानुसार है :-

- | | |
|---|------------|
| 1. कलेक्टर | अध्यक्ष |
| 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत | सदस्य |
| 3. संभागीय अधिकारी, मा.शि.म. | सदस्य |
| 4. जिला समन्वयक संस्था प्राचार्य | सदस्य |
| 5. प्राचार्य डाईट | सदस्य |
| 6. जिले के समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी | सदस्य |
| 7. जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त | सदस्य सचिव |

आदिवासी उपयोजना के क्षेत्र के लिये जिन जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग की शालायें संचालित की जा रही हैं उन जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी के स्थान पर सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आ.ज.क. को सदस्य सचिव नियुक्त किया जाता है।

मूल्यांकनकर्ताओं के चयन हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं :-

1. यथा संभव पांच वर्ष एवं कम से कम तीन वर्ष के अध्यापन कार्य के अनुभवी शिक्षकों का ही चयन किया जावे।
2. संविदा शिक्षक एवं अध्यापक संवर्ग के शिक्षक जो कम से कम निरंतर तीन वर्ष से अध्यापन कार्य कर रहे हों उनकी सेवायें भी परीक्षकों के रूप में ली जा सकती हैं।
3. ऐसे सहायक शिक्षक जो स्नातक एवं स्नातकोत्तर हों एवं निरंतर तीन वर्षों से कक्षा 10वीं एवं 12वीं में अध्यापन कार्य कर रहे हों को भी परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

निरंतर.....2

(2)

4. हाईस्कूल परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में परीक्षकों के लिये स्नातक एवं हा.से. परीक्षा की उ.पु. के मूल्यांकन हेतु परीक्षकों को संबंधित विषय में स्नातकोत्तर होना अनिवार्य होगा।
5. पूर्व में परीक्षकों के रूप में कर्तव्य निर्वहन में कोई लापरवाही नहीं की गई है। अथवा उक्त कार्य से प्रतिबंधित नहीं किया गया हो।
6. अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के उन शिक्षकों को परीक्षक के रूप में चयनित किया जावे जिन्होंने संस्था में लगातार यथा संभव पांच वर्ष, कम से कम तीन वर्ष तक संतोष जनक कार्य किया हो। इस आशय का अध्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त एवं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य समन्वयक संस्था द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र की जांचोपरान्त अनुभव प्रमाण के आधार पर परीक्षक नियुक्त किया जा सकता है।
7. उपरोक्त मापदण्ड सैद्धांतिक/प्रायोगिक परीक्षा के लिये समान रूप से लागू होंगे।


(3) उपरोक्त कार्य हेतु अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों का ही चयन हो यह सुनिश्चित किये जाने के लिये निर्णय लिया गया है कि सी.बी.एस.ई. तथा कुछ अन्य राज्यों की तरह म.प्र. में भी प्रत्येक जिले को पिछले पांच वर्ष में शासकीय सेवा से सेवा निवृत्त होकर निवासरत योग्य एवं इच्छुक शिक्षकों के दीर्घ अनुभवों व योग्यता का लाभ लिये जावे। ऐसे करने से योग्य एवं अनुभवी एवं विश्वसनीय परीक्षकों की कमी का भी निदान हो सकेगा। इस हेतु जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक कार्यालय से पिछले पांच वर्षों में सेवा निवृत्त हुये शिक्षकों/प्राचार्यों के नाम एवं पते ज्ञातकर उनकी लिखित सहमति प्राप्त कर चयन एवं नियुक्ति का कार्य भी उपरोक्त समिति के अनुमोदन से किया जाये।

(4) उपरोक्त समिति की बैठक आयोजित कर परीक्षावार/विषयवार परीक्षकों का चयन करने की कार्यवाही 20/01/2019 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाये।

(5) जिला शिक्षा अधिकारी मूल्यांकनकर्ताओं के चयन के उपरोक्त मापदण्डों के आधार पर विषयवार सूची तैयार करेंगे एवं उक्त सूची को जिले की समन्वयक संस्था को अग्रेषित करेंगे। समन्वय संस्था प्राचार्य का दायित्व होगा कि एम. पी ऑनलाइन के पोर्टल पर समन्वयक संस्था के लागिन के माध्यम से शासकीय/अशासकीय मान्यता प्राप्त संस्था कोड के आधार पर वे प्रत्येक परीक्षक के आवेदन पत्र की एन्ट्री सुनिश्चित करेंगे। ऑनलाईन प्रविष्टि दिनांक 25/01/2019 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर ली जावे।

(6) परीक्षक की जानकारी भरवाये जाने हेतु प्रारूप संलग्न हैं। इस प्रारूप में जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाकर अपने प्रमाणीकरण उपरान्त संबंधित समन्वयक संस्था प्राचार्य को उपलब्ध कराई जायेगी।

जिले के समस्त चयनित परीक्षकों की सूची ऑनलाईन पंजीयन करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रमाणीकरण के आधार पर जिला समन्वय संस्था के प्राचार्य द्वारा पंजीयन कराया जाना आवश्यक होगा।


परीक्षा नियंत्रक 11/19
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्यप्रदेश, भोपाल

मूल्यांकनकर्ता की जानकारी

जिले का नाम व कोड		ब्लॉक का नाम व कोड	
शिक्षक का नाम		जन्मतिथि	
वर्तमान स्कूल			
पद		मोबाइल नं.	
ई-मेल-आई.डी.			
सेवानिवृत्ति तिथि			
बैंक का नाम			
बैंक का खाता क्रमांक			
आई.एफ.एस.सी. कोड व बैंक			
शैक्षणिक योग्यता			
स्नातक		विषय	
स्नातकोत्तर		विषय	
शिक्षण का अनुभव	आवंटित विषय	अनुभव वर्ष	पदस्थापना की संस्था
10वीं			
12वीं			
माध्यमिक शिक्षा मण्डल में मूल्यांकन का अनुभव (वर्षों में)			

प्राचार्य का प्रमाणीकरण

श्री / श्रीमती..... पद संस्था.....

..... में कार्यरत है। उपरोक्त दी गई जानकारी प्रमाणित है।

प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

नाम.....

मोबाइल नं.